सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और सीईजीआईएस फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ़ इन्डियन स्टेट्स के बीच समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन (जिसे इसके बाद "एमओयू" कहा जाएगा) जून, 2025 की 2 तारीख से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, के एल भवन, जनपथ रोड़, नई दिल्ली 110001 में प्रभावी होगा।

इस समझौता ज्ञापन पर **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,** प्रथम पक्ष, अपने प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, उपमहानिदेशक, राज्य इकाई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय के.एल. भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 में स्थित है (जिसे आगे "सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या " **मॉस्पी** " कहा जाएगा, जिसके शब्द या अभिव्यक्ति, जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अपवर्जित या प्रतिकूल न हों, इसका अर्थ और इसमें उत्तराधिकारी, प्रशासक या अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं);

और

सीईजीआईएस फाउंडेशन, द्वितीय पक्ष, अपने प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, **डॉ. विजय मारूति पिंगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, सीईजीआईएस फाउंडेशन, 20, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 रोड ओखला फेज III, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट दिल्ली 110020, भारत (जिसे आगे **"सीईजीआईएस"** कहा जाएगा) के माध्यम से, जिसमें अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे, हस्ताक्षर करेंगे ।

मॉस्पी और सीईजीआईएस फाउंडेशन को व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोनों पक्ष निम्नलिखित आशय पर पहुँचे हैं।

पृष्ठभूमि एवं प्रयोजन

भारत सरकार ने नीति निर्माताओं के साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए देश भर में विश्वसनीय आंकड़ों की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक दृष्टिकोण निर्धारित किया है। मॉस्पी इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है, जिसका व्यापक लक्ष्य विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाना है।

इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रमुख पहलों में से एक सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता योजना (एसएसएस) है। एसएसएस योजना का उद्देश्य डेटा प्रणालियों में अंतराल को दूर करके और महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कार्यकलापों का समर्थन करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकीय क्षमता का निर्माण करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के सभी सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस एसएसएस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना चाहता है।

सीईजीआईएस फाउंडेशन का लक्ष्य भारतीय राज्य सरकारों के कामकाज में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और साक्ष्य के साथ-साथ कार्यान्वयन योग्य विचारों के प्रति व्यावहारिक अभिविन्यास से प्रेरित होकर, सीईजीआईएस भारतीय राज्यों को शासन और व्यय सुधारों हेतु विश्लेषणात्मक रोडमैप के साथ-साथ इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कार्यनीतिक कार्यान्वयन सहायता भी प्रदान करता है। सीईजीआईएस फाउंडेशन राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि राज्य के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण राज्य कार्यालय बनाया जा सके।

वर्तमान में, सीईजीआईएस ने कर्नाटक सरकार, असम सरकार, तमिलनाडु सरकार, तेलंगाना सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के स्तर पर, सीईजीआईएस ने क्षमता निर्माण आयोग, कर्मयोगी भारत और भारत बौद्धिक संपदा कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीईजीआईएस अपने उद्देश्यों में तीन मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है जो सभी सफल संगठनों का आधार हैं। इनमें शामिल हैं: क) लक्ष्य निर्धारण के लिए परिणामों को मापना और इन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करना, ख) कार्मिक नीति का कार्यनीतिक निर्माण (जिसमें भर्ती, तैनाती, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं) और सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन मापन और प्रबंधन, तथा ग) कार्यनीतिक बजट बनाना, जहां राजस्व संग्रह और संसाधन आवंटन साक्ष्य और लागत प्रभावशीलता पर आधारित हो - ताकि उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

सीईजीआईएस के कार्य और मॉस्पी की एसएसएस योजना के बीच उद्देश्यों की पूरक प्रकृति को देखते हुए, पक्षों के बीच चर्चा के आधार पर सीईजीआईएस और मॉस्पी के बीच सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह अनुबंध सीईजीआईएस को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा एसएसएस योजना से संबंधित निदेशालयों के साथ 2 वर्ष के लिए कार्य करने तथा योजना से संबंधित नीतियों और कार्यान्वयन पर तकनीकी और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के लिए होगा। कार्य का दायरा नीचे सूचीबद्ध है।

कार्य का दायरा, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

क. इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, नीचे कार्य का व्यापक दायरा दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों और प्रदेय (डिलीवरेबल्स) शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिन्हें सीईजीआईएस, मॉस्पी के सहयोग से तैयार करेगा:

1. **एसएसएस योजना के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सहायता**

1.1. सीईजीआईएस एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन करेगा, जो राज्यों में एसएसएस योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए संस्तुतियाँ प्रस्तुत करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सहायता प्रदान करेगा। यह पीएमयू कार्यान्वयन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राज्यों के बीच एक सेतु का काम करेगा। प्राथमिक फोकस एसएसएस योजना के प्रशासन और परिचालन को सुदृढ़ करने पर होगा।

1.2. एसएसएस कार्यान्वयन पर समग्र समर्थन (बिंदु 1.1 में उल्लिखित) के अलावा, सीईजीआईएस एसएसएस संशोधित परिचालन दिशानिर्देश (2024) में उल्लिखित प्रमुख घटकों के साथ संरेखण में मॉस्पी का भी समर्थन करेगा। सीईजीआईएस एसएसएस योजना के निम्नलिखित प्रमुख घटकों में लक्षित समर्थन प्रदान करके योगदान देगा:

1.2.1. **घटक 3**- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट अतिरिक्तताओं सहित मौजूदा और अपेक्षित/उभरते डेटा अंतराल को भरने के लिए तकनीकी समूहों/निकायों की संस्तुतियों का कार्यान्वयन।

1.2.2. **घटक 4** - मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दे, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों को सहायता प्रदान करने सहित क्षमता विकास और कौशल संवर्धन/उन्नयन के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

1.2.3. **घटक 8** - डेटा गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के उपाय -

8.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), वार्षिक सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसएसएसई), वार्षिक अनिगमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एएसयूएसई), समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) सहित एनएसएस के दौर में भागीदारी;

8.2 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए निगरानी रूपरेखा को सुदृढ़ बनाना।

1.3. घटक 3 के अंतर्गत समर्थन की रूपरेखा (ऊपर बिंदु 1.2.1 देखें)

1.3.1. एसएसएस योजना के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित सबसे प्रासंगिक विशेषज्ञ पैनल की संस्तुतियों की पहचान करने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना।

1.3.2. राज्यों में कार्यान्वयन के लिए मौजूदा गुणवत्ता नियंत्रण रूपरेखा से सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन पहचानी गई विशेषज्ञ संस्तुतियों का उपयोग करें। इसमें हितधारकों के परामर्श और विशेषज्ञ इनपुट के माध्यम से पहचान की गई सर्वोत्तम पद्धतियों और तकनीकी मानकों का समावेशन करना शामिल होगा।

1.3.3. उन्नत ढांचे में सक्रिय रूप से शामिल राज्यों के कार्यान्वयन अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत केस अध्ययन का दस्तावेजीकरण और तैयारी करना।

1.4. घटक 8 के अंतर्गत समर्थन की रूपरेखा (ऊपर बिंदु 1.2.3 देखें)

1.4.1 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप मानकों के साथ सटीकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहचाने गए निर्दिष्ट डेटासेट पर गुणवत्ता नियंत्रण जांच करने में मॉस्पी का समर्थन करना।

1.5. सीईजीआईएस शुरुआत करने के लिए चार कार्मिकों की सहायता प्रदान करेगा, जिन पर बाद में पुनर्विचार किया जा सकता है, ताकि उपरोक्त लक्ष्य के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में संपर्क बिंदु की भूमिका निभाई जा सके। ये संसाधन इस समझौता ज्ञापन से संबंधित राज्य-स्तरीय प्रगति पर नियमित अपडेट प्रदान करेंगे। सहायता की पूरी लागत सीईजीआईएस द्वारा वहन की जाएगी।

1.6 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में ये नामित कार्मिक एसएसएस कार्यान्वयन में लगे राज्यों को दूरस्थ सहायता प्रदान करेंगे। वे प्रभावी संचार और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राज्य स्तरीय टीमों के बीच प्राथमिक संपर्क के रूप में कार्य करेंगे।

1.7. सीईजीआईएस मासिक प्रगति के बारे में सूचना देगा तथा लगातार अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और नीति संबंधी चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए सीईजीआईएस और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की बैठकें आयोजित करेगा।

2. एसएसएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सहायता

2.1 सीईजीआईएस एसएसएस योजना ढांचे के वास्तविक कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। यहां मुख्य रूप से दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा; क) राज्य कार्यान्वयन समिति (एसआईसी) के साथ मिलकर काम करना और ख) सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण और क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन टीमों को आधारभूत सहायता प्रदान करना।

2.2. सहायता के लिए चिन्हित राज्य (अधिमानतः) केवल वही राज्य होंगे जहां सीईजीआईएस की सक्रिय भागीदारी है (मौजूदा राज्य भागीदारी - तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक; प्रस्तावित राज्य भागीदारी - छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश)।

2.3. सीईजीआईएस एसएसएस संशोधित परिचालन दिशानिर्देश (2024) के अंतर्गत राज्यों को उन्हीं तीन घटकों के लिए सहायता प्रदान करेगा जैसा कि धारा ए बिंदु 1.2 के अंतर्गत है। राज्यों को दी जाने वाली सहायता का घटक-वार विवरण नीचे दिया गया है।

2.4. घटक 3 के अंतर्गत सहायता की रूपरेखा (ऊपर बिंदु 1.2.1 देखें)

2.4.1. पक्षों द्वारा सहयोगात्मक रूप से चिन्हित तकनीकी अनुशंसाओं को समझने में राज्यों को सहायता प्रदान करना, तथा उन्नत कार्यान्वयन के लक्ष्यों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करना।

2.4.2. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संवर्द्धन के अनुरूप प्रभावी ढांचे को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करना। इसमें हितधारकों की पहचान, विचारार्थ विषय (टीओआर) का मसौदा तैयार करना, बजटीय योजना, व्यय प्रबंधन, तथा पक्षों द्वारा सहमत अन्य प्रासंगिक तत्वों पर ध्यान देना शामिल है।

2.4.3. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय जैसी नोडल कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए लक्षित, कार्यस्थल पर क्षमता निर्माण पहलों को क्रियान्वित करने के लिए विशेषज्ञ इनपुट का उपयोग करना, जिससे सहभागी राज्यों में तत्परता और क्षमता सुनिश्चित हो सके।

2.5. घटक 4 के अंतर्गत सहायता की रूपरेखा (ऊपर बिंदु 1.2.2 देखें)

2.5.1. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के आवेदन एवं स्थापना में राज्यों को सहायता प्रदान करना।

2.5.2. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को उचित एवं नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।

2.5.3. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के अवलोकन और प्रतिभागियों से फीडबैक एकत्र करके गुणवत्ता जांच के द्वारा प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को समझना।

2.6. घटक 8 के अंतर्गत सहायता की रूपरेखा (ऊपर बिंदु 1.2.3 देखें)

2.6.1. प्रतिदर्श फ्रेम, संकेतक, आकलन पद्धति और पक्षों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य प्रासंगिक विवरणों सहित डेटा संग्रह पर केंद्रीय दिशानिर्देशों के उचित उपयोग के बारे में कार्यान्वयन सहायता प्रदान करें।

2.6.2. सीईजीआईएस राज्यों के लिए डेटा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत गुणवत्ता जांच ढांचे को तैयार करने हेतु सिफारिशें प्रदान करेगा।

2.6.3 सीईजीआईएस गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे और एनएमडीएस 2.0 के अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करेगा।

2.6.4 राज्यों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) हेतु निगरानी ढांचे को मजबूत करने में सीईजीआईएस से सहायता:

• एसडीजी डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता के विषयों की पहचान करने के लिए अंतर विश्लेषण का संचालन करना।

• एसडीजी डेटा की सार्वजनिक पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और डेटा पोर्टल विकसित करना।

3. अन्य सहायता प्रदान करना

i. सीईजीआईएस, स्रोत पर प्रशासनिक डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु संबंधित मंत्रालयों के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा । सीईजीआईएस 1-2 सीईजीआईएस-केंद्रित राज्यों में इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का प्रदर्शन कर सकता है, जो इसमें रुचि रखते हों, तथा प्रसार के लिए दस्तावेजों से संबंधित जानकारी में उनकी सहायता कर सकता है।

ii. डेटा एनालिटिक्स इकाइयों (डीएयू) का एक व्यापक रोडमैप और रूपरेखा तैयार करना जिसका उपयोग राज्यों द्वारा किया जा सके। सीईजीआईएस 1-2 सीईजीआईएस-केंद्रित राज्यों में रोडमैप के कार्यान्वयन का प्रदर्शन कर सकता है। इन विशेष इकाइयों को विश्वसनीय, उच्च-गुणवत्ता वाले आंकड़ों का सृजन सुनिश्चित करने तथा उन्नत डेटा विश्लेषण और सूचित निर्णय लेने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

क. इन राज्यों से प्राप्त क्रॉस-लर्निंग्स को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा, ताकि अन्य राज्य भी सीख सकें।

iii. सीईजीआईएस एसएसएस पहल के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में निधियों के कुशल और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है।

iv. सीईजीआईएस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से प्रमुख मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की पहचान करेगा, तथा उनके डेटासेट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए संस्थागत व्यवस्था का आकलन करेगा, जिसमें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे (एसक्यूएएफ) और एनएमडीएस 2.0 के अनुसार प्रसारित डेटासेट के मेटाडेटा तत्वों का प्रसार शामिल है।

v.भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग के अधिकारियों की योग्यता प्रोफाइल का मसौदा तैयार करके एनएसएसटीए के माध्यम से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों के लिए योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण (सीबीसी) पहल में सहायता करना।

vi. सीबीसी के साथ संरेखण में एनएसएसटीए के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण और मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः डिजाइन करने में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सहायता करना।

vii. प्रशिक्षण प्रदान करने के मौजूदा ढांचे को मजबूत करने और सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रणालियों और प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाने के साथ एनएसएसटीए की सहायता करना।
viii आपसी हित के अन्य क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, उन पर भविष्य में काम किया जा सकता है।

ख. सीईजीआईएस की कार्यकलापों और वितरण के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मुख्य भूमिकाएं और उत्तरदायित्व नीचे दी गई हैं

1. उपरोक्त खंड में उल्लिखित सभी डिलिवरेबल्स और कार्यकलापों को तैयार करने के लिए सीईजीआईएस टीम को दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करें।
2. यदि आवश्यक हो तो सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संस्थाओं सहित प्रासंगिक हितधारकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाना।
3. पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं और पहलों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशासनिक और गैर-वर्गीकृत डेटा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सीईजीआईएस के साथ साझा किए गए डेटा का उपयोग प्रोटोकॉल (नीचे भाग छ में शामिल) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
4. जिन विभागों में परियोजनाएं स्थित हैं, उनके संबंधित प्रशासनिक प्रमुखों की अध्यक्षता में समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

ग. परियोजनाएं

दोनों पक्षों ने उपरोक्त उत्तरदायित्वों से संबंधित अनेक परियोजनाओं/क्षेत्रों पर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर, व्यय की गुणवत्ता, प्रशासन और सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित अतिरिक्त परियोजनाओं को धारा (ड.) के प्रावधानों के अनुसार समय के साथ कार्य के दायरे में जोड़ा जा सकता है।

घ. टीम का गठन

प्रस्तावित टीम के पास एसएसएस योजना के अंतर्गत घटकों की योजना और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रासंगिक विशेषज्ञता होगी, जैसा कि खंड ए में उल्लिखित है। टीम की संरचना का विवरण नीचे अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

कार्यकाल और शर्तें

ङ. कार्यकाल

यह समझौता ज्ञापन 2 जून, 2025 ("प्रभावी तिथि") से प्रभावी माना जाएगा, और प्रभावी तिथि से जून 2027 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा - जिसके बाद इसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा

सकता है। यह समझौता ज्ञापन सीईजीआईएस द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलापों और वितरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

च. शर्तें

1. इस समझौता ज्ञापन में कोई भी वांछित संशोधन दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से किया जाएगा।

2. कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना समझौता ज्ञापन के तहत अपने किसी भी कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपेगा।

3. **वित्तीय समझौता**

3.क. यह प्रत्येक गतिविधि/सहयोग के लिए एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन होगा (जैसा कि उपर्युक्त भाग क में उल्लिखित है)। किसी भी परिवर्तन के लिए पक्षों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर आपसी सहमति की आवश्यकता होगी।
3.ख. इस समझौता ज्ञापन से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सीईजीआईएस पर किसी भी रूप में कोई कानूनी या वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।
4. सीईजीआईएस यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति या उपयोग के मामले में, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (समय-समय पर संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सीईजीआईएस द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

गोपनीयता, स्वामित्व, प्रकाशन और ब्रांडिंग

छ. गोपनीयता, स्वामित्व, प्रकाशन और ब्रांडिंग

1. इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित सभी कार्यकलाप और वितरण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मार्गदर्शन में पूरे किए जाएंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विषय-वस्तु पर अंतिम स्वीकृति होगी, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आउटपुट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित सभी डेटा, सूचना और सामग्री का स्वामित्व सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संबंधित सरकारी विभागों के पास है। एक साझेदार के रूप में सीईजीआईएस की भूमिका एक सहायक के रूप में होगी।

3. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी डेटा/सूचना, लोगो या सामग्री साझा नहीं करेगा।

4. गोपनीय सूचना का अर्थ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम 2023 से लिया जा सकता है, जिसे सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के साथ पढ़ा जा सकता है।
5. दोनों पक्षों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डेटा संरक्षण के लिए अन्य प्रासंगिक विनियमों का अनुपालन करना होगा। गोपनीय डेटा को केवल भारत में स्थित सर्वरों पर ही संग्रहीत किया जाना चाहिए, जैसा कि मॉस्पी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6. गोपनीय सूचना के अनधिकृत प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप दंड लगाया जाएगा, जिसमें इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति और वित्तीय क्षति शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

7. इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न हस्तक्षेपों और पहलों, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, से मामला-दर-मामला आधार पर निपटा जाएगा। जीएफआर के प्रावधानों का अनुपालन तथा अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. इस समझौता ज्ञापन को भारत सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की संप्रभु गारंटी नहीं माना जाएगा।

8.क. यह समझौता ज्ञापन सीईजीआईएस को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से कार्यकलाप चलाने का अधिकार नहीं देता है। राज्यों में सीईजीआईएस द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्यकलाप संबंधित राज्यों के साथ सीईजीआईएस के समझौता ज्ञापन/समझौते के अनुसार होंगी।

9. साझेदारी की अवधि के दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सीईजीआईएस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए समाधानों का उपयोग सीईजीआईएस द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को पूर्व सूचना और उचित स्वीकृति देकर सीईजीआईएस के अन्य सरकारी कार्यों में चल रहे कार्यों को बढ़ाने या दोहराने के लिए किया जा सकता है।

सीईजीआईएस, मॉस्पी द्वारा साझा किए गए डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। साझा किए गए डेटा का उपयोग भारत की नीतियों, दिशानिर्देशों और कानूनों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा, जो समय-समय पर लागू या संशोधित किए जाते हैं, जिसमें डीपीडीपी अधिनियम या अन्य प्रासंगिक विनियमों में भविष्य में किए जाने वाले संशोधन भी शामिल हैं । डेटा का प्रसंस्करण/उपयोग केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए या इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलाप के लिए किया जाएगा।

व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की प्रकृति, दायरे और उद्देश्य, ऐसे प्रसंस्करण से जुड़े जोखिम और ऐसे प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान की संभावना और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीईजीआईएस उचित सुरक्षा उपायों को लागू करेगा, जिसमें शामिल हैं—

(क) डी-आईडेंटिफिकेशन और एन्क्रिप्शन जैसी विधियों का उपयोग;

(ख) व्यक्तिगत डेटा की प्रमाणिकता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम; और

(ग) व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग, अनधिकृत पहुंच, संशोधन, प्रकटीकरण या विनाश को रोकने के लिए आवश्यक कदम।

दोनों पक्षों का यह इरादा है कि डेटा, डेटा को बेहतर बनाने या प्राप्त करने के लिए उपकरण, अनुसंधान उत्पाद और इस समझौता ज्ञापन के संबंध में सीधे सीईजीआईएस द्वारा प्रदान की गई किसी भी फंडिंग से उत्पन्न होने वाले विकास सहित ज्ञान और सूचना भारत सरकार और उसके लोगों के लाभ के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उपलब्ध और सुलभ कराई जाएगी। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीईजीआईएस द्वारा किया जाने वाला कोई भी अनुदान समझौता, वैश्विक पहुंच के सिद्धांतों को शामिल करेगा। "वैश्विक पहुंच" के लिए आवश्यक है कि परियोजना कार्यकलाप के संबंध में प्राप्त ज्ञान और सूचना का शीघ्र और व्यापक रूप से प्रसार किया जाएगा; तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न उत्पाद, सेवाएं, प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकियां, सामग्री, सॉफ्टवेयर, डेटा या अन्य नवाचार विकासशील देशों में सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को किफायती मूल्य पर उपलब्ध और सुलभ कराए

जाएंगे।डेटा/उत्पाद/सेवाओं/नवाचार/प्रौद्योगिकियों/सॉफ्टवेयरों तक किसी भी प्रकार की पहुंच पक्षों के पूर्व लिखित आपसी समझौते के माध्यम से तथा भारत की नीतियों, दिशानिर्देशों और कानूनों के अनुसार की जाएगी।

10. मॉस्पी नाम और ब्रांडिंग का उपयोग

ब्रांडिंग और सार्वजनिक संचार के लिए अनुमोदन

सीईजीआईएस को किसी भी प्रचार, विपणन या बाह्य संचार प्रयोजनों के लिए अपने नाम, लोगो या एसोसिएशन का उपयोग करने से पहले मॉस्पी से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा।

11. आउटपुट का स्वामित्व

बौद्धिक संपदा अधिकार

1. इस समझौता ज्ञापन के तहत विकसित सभी आउटपुट, रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर, उपकरण, कार्यप्रणाली और डिलिवरेबल्स मॉस्पी की एकमात्र संपत्ति बने रहेंगे।
2. यदि साझा उपयोग के लिए आपसी सहमति बन जाती है, तो शर्तों और सीमाओं को रेखांकित करते हुए एक अलग लिखित समझौता तैयार किया जाएगा।

12. क्षतिपूर्ति खंड

1. सीईजीआईएस, मॉस्पी के डेटा, नाम या एसोसिएशन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी, दावे या हानि के लिए मॉस्पी को क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत है।

हितों का टकराव

ज. हितों का टकराव

सभी वाणिज्यिक अवसरों को इस सहकार्यता से अलग एवं विशिष्ट माना जाता है। दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इन सेवाओं का उपयोग भविष्य में किसी संविदा पुरस्कार के लिए प्राथमिकता नहीं होगी, तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इन सेवाओं के बदले में भविष्य में कोई संविदा देने के लिए कोई वादा या प्रतिबद्धता नहीं की गई है।

हितों का प्रकटीकरण

दोनों पक्षों को तीसरे पक्ष के साथ किसी भी मौजूदा या संभावित संबंध का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप हितों का टकराव हो सकता है।

गैर-बाध्यकारी प्रकृति:

उपरोक्त कथनों के बावजूद, दोनों पक्ष सहमत हैं और समझते हैं कि यह समझौता ज्ञापन गैर-बाध्यकारी है तथा इससे किसी भी पक्ष पर कोई भी कार्यकलाप करने या कोई वित्तपोषण प्रदान करने के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व सृजित नहीं किया जाएगा और न ही उसे बढ़ावा दिया जाएगा । वित्तपोषण या अन्य वितरण का कोई भी दायित्व या प्रतिबद्धता उपयुक्त पक्षों के बीच एक अलग लिखित समझौते के माध्यम से प्रभावित होगी।

प्रत्येक पक्ष अपने संबंधित विनियामक और कानूनी अनुपालन के लिए जिम्मेदार है तथा वे अपनी संबंधित कार्यकलापों को अत्यंत सद्भावना के साथ करेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में किसी भी बात को साझेदारी, एजेंसी, ट्रस्ट, संयुक्त उद्यम या अन्य किसी चीज के सृजन के रूप में नहीं माना जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन में ऐसी कोई भी बात निहित नहीं है जिसे अन्य पक्ष या उसके सहयोगी सेवाओं को निर्धारित करने, आपूर्ति करने या अनुशंसा करने के लिए भारत सरकार सहित किसी भी पक्ष और/या उसके कर्मचारियों, सलाहकारों तथा प्रतिनिधियों हेतु दायित्व या प्रलोभन के रूप में किसी भी तरीके से व्याख्यायित नहीं किया जाएगा।

विवाद निपटान

झ. विवाद निपटान

1. यह समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या संबंधित सभी विवाद, जिसमें बिना किसी सीमा के इसके निष्पादन से जुड़े सभी मामले शामिल हैं, कानून के सिद्धांत के टकराव के संदर्भ के बिना, भारत के कानूनों के तहत शासित, तथा व्याख्यायित और भाषांतरित किए जाएंगे।
2. इस समझौता ज्ञापन की अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न सहित उससे उत्पन्न या संबंधित सभी विवाद और मतभेद एक सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से शुरुआत में ही निपटाया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव के विफल होने पर, इस मामले का अंतिम रूप से समाधान करने हेतु उस समय के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (मध्यस्थता का संचालन) ("आईआईएसी विनियम") जिसके नियम संदर्भ द्वारा इस खण्ड में निहित माने जाते हैं, के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (आईआईएसी) [प्लॉट सं. 6, बसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली, दिल्ली 110070] द्वारा प्रशासित मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा । मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी में संचालित की जाएगी।

समापन

ञ. समापन

1. कोई भी पक्ष बिना कोई कारण बताए दूसरे पक्षों को दो महीने का नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।
2. किसी भी पक्ष द्वारा भौतिक उल्लंघन की स्थिति में, किसी भी समय समझौता ज्ञापन को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त किया जा सकता है; बशर्ते, तथापि, उल्लंघन करने वाले पक्ष को उल्लंघन को ठीक करने के लिए तीस (30) दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद ही उल्लंघन न करने वाला पक्ष अपने समाप्ति अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। प्रत्येक मामले में, समाप्ति की प्रभावी तिथि बताते हुए लिखित नोटिस जारी किया जाएगा।

3. उन्नत उल्लंघन प्रबंधन

1. भौतिक उल्लंघनों के लिए सुधार अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे समाधान के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
2. यदि इस अवधि के भीतर उल्लंघन का समाधान नहीं किया जाता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है, और सीईजीआईएस को समाप्ति

के 30 दिनों के भीतर मॉस्पी द्वारा प्रदान किए गए सभी डेटा, बौद्धिक संपदा और सामग्री वापस करनी होगी।

4. डेटा और सामग्री वापसी

1. समाप्ति पर, सीईजीआईएस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए डेटा और सामग्रियों की सभी प्रतियों को नष्ट करना प्रमाणित करेगा, जब तक कि लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो।

5. एमओयू के बाद प्रतिबंध

इस समझौता ज्ञापन के समाप्त होने पर, सीईजीआईएस को स्पष्ट पूर्व लिखित सहमति के बिना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नाम, लोगो या सहयोग का उपयोग नहीं करना चाहिए।

अप्रत्याशित घटना

ट. अप्रत्याशित घटना

1. यदि और उस सीमा तक ऐसी चूक या देरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी "अप्रत्याशित घटना" के कारण होती है, जिसे आग, बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा या दैवीय कृत्य, दंगे, महामारी, आतंकवाद, नागरिक अशांति या ऐसे पक्ष के उचित नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण के रूप में परिभाषित किया जाता है तो कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी भी चूक या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (इसके तहत देय राशि का भुगतान करने के दायित्व के अलावा) ।

2. किसी अप्रत्याशित घटना की मौजूदगी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसी भी समाप्ति या अन्य प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सीईजीआईएस के लिए सुरक्षित बंदरगाह के रूप में कार्य करेगा और विलंब पर परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार का दंड, आर्थिक या अन्य नहीं लगाया जाएगा।

3. कार्य निष्पादन में किसी भी देरी के बाद, एकपक्ष अगले उचित कदमों पर परामर्श करेंगे और किसी भी सेवा और/या डिलिवरेबल समय-सीमा में संशोधन पर पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति बनाई जाएगी और उसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा।

विविध

ठ. दायित्व की सीमा

कोई भी पक्ष दूसरे के प्रति किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, अनुकरणीय, दंडात्मक या विशेष क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे कार्रवाई का स्वरूप या पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत कुछ भी हो, भले ही ऐसे पक्ष को ऐसी क्षति की संभावना के बारे में सूचित कर दिया गया हो।

ड. तृतीय पक्ष लाभार्थी

यह समझौता ज्ञापन केवल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा सीईजीआईएस के बीच पूरी तरह से दर्ज किया गया है, एवं इसे केवल उनके द्वारा लागू किया जा सकता है, तथा इस समझौता ज्ञापन को तीसरे पक्ष में कोई अधिकार बनाने, या ऐसे किसी तीसरे पक्ष के लिए किसी पार्टी के किसी भी दायित्व को बनाने के लिए नहीं माना जाएगा।

ढ. गैर-विशिष्टता

यह समझौता ज्ञापन पक्षों के बीच कोई विशेष संबंध नहीं बनाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समान या संबंधित उद्देश्यों के लिए अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने का अधिकार सरंक्षित करता है।

इस समझौता ज्ञापन में निहित कोई भी बात किसी भी पक्ष को समान विषय-वस्तु पर अन्य पक्षों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन/व्यवस्था/करार करने से नहीं रोकेगी।

इस समझौता ज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पक्षों के बीच एक प्रिंसिपल-एजेंट संबंध, कर्मचारी-नियोक्ता संबंध, प्रतिनिधि या संयुक्त साझेदारी स्थापित करता हो या ऐसा माना जाना चाहिए, कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन के आधार पर दूसरे पक्ष की तरफ से कोई संविदा या समझौता करेगा।
प्रत्येक पक्ष सभी उपयुक्त कानून, नियमों और अन्य कानूनी मानकों के अनुसार इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपने कार्यकलापों का संचालन करेगा।

ण. सूचना

1. इस समझौता ज्ञापन के तहत स्पष्ट रूप से आवश्यक कोई भी नोटिस धारा शून्य (2) के अनुसार बनाया जाएगा। कोई भी अन्य सूचना या संचार लिखित रूप में होगा और ईमेल द्वारा दूसरे पक्ष को भेजा जाएगा।

2. धारा ण (1) के अनुसार भेजी गयी सूचना (i) यदि व्यक्तिगत रुप से भेजी गयी है, तो संबंधित पक्ष के पते पर डिलीवरी के बाद; (ii) यदि कूरियर द्वारा भेजा गया है, तो प्रेषण की तिथि के तीन (3) व्यावसायिक दिनों के बाद, बशर्ते कि सबूत दिया जाए कि नोटिस ठीक से संबोधित किया गया और विधिवत भेजा गया ; और (iii) यदि ईमेल द्वारा भेजा गया है, तो प्रेषण के एक (1) व्यावसायिक दिन बाद।

3. समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पक्ष का प्रासंगिक पता हैं:

सीईजीआईएस फाउंडेशन
20, ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज 3 रोड

ओखला फेज III, ओखला औद्योगिक एस्टेट
दिल्ली 110020
ईमेल: parul@cegis.org; vijay@cegis.org

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली -110001

त. विच्छेदनीयता

यदि समझौता ज्ञापन का कोई प्रावधान किसी भी कारण से सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य, शून्यकरणीय, अमान्य या अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो शेष प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे और वैध और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

थ. प्रतिपक्ष /काउंटरपार्ट्स

इस समझौता ज्ञापन पर दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और सभी को एक साथ मिलाकर यह समझौता ज्ञापन माना जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में, पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाई और ऊपर लिखी गई पहली तारीख को इस आशय के कथन (एमओयू) को निष्पादित किया। पक्षों ने इस समझौता ज्ञापन पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए हैं और प्रत्येक समान रूप से प्रामाणिक है। व्याख्या में किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , हस्ताक्षरित और वितरित		भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन के लिए केंद्र द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता के नाम	डॉ. चेतना शुक्ला	हस्ताक्षरकर्ता के नाम	डॉ. विजय पिंगले
पदनाम	उप महानिदेशक (राज्य इकाई), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	पदनाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईजीआईएस
दिनांक	02/06/2025	दिनांक	2/6/2025
गवाह-1		गवाह-1	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
गवाह का नाम		गवाह का नाम	पारुल अग्रवाल
पदनाम		पदनाम	सहायक उपाध्यक्ष, सीईजीआईएस
गवाह-2		गवाह-1	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
गवाह का नाम		गवाह का नाम	
पदनाम		पदनाम	
दिनांक		दिनांक	

डॉ. चेतना शुक्ला/DR. CHETNA SHUKLA
उप महानिदेशक/Deputy Director General
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics and P. I.
भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली/New Delhi

CEGIS FOUNDATION

अनुलग्नक 1: सीईजीआईएस स्टाफिंग[1]

पद	कार्मिकों की सं.	अनुभव - वर्ष	विशेषज्ञता	कार्य स्थान
परियोजना प्रमुख	1	8-10 वर्ष	टीम मापन तकनीक, प्रतिदर्शकरण तकनीक, मात्रात्मक पद्धतियों के साथ-साथ योग्यता-आधारित कार्मिक प्रशिक्षण में सक्षम होगी।	हाइब्रिड - दूरस्थ कार्य के साथ आवश्यकता होने पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में उपलब्धता।
वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी	3	3 - 4 वर्ष		

1. यह तालिका अनुभाग क के तहत इंगित परियोजनाओं की सूची का समर्थन के लिए 4 (चार) सदस्यों वाली एक प्रारंभिक टीम प्रस्तुत करती है। परियोजना आवश्यकताओं और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ परामर्श के आधार पर अतिरिक्त टीम के सदस्यों को तैनात किया जाए।

Memorandum of Understanding Between

Ministry of Statistics and Programme Implementation,
Government of India and

CEGIS Foundation

Memorandum of Understanding
Between Ministry of Statistics and Programme Implementation and Centre for Effective Governance of Indian States

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is entered into and effective as of 2 June, 2025 at MoSPI, KL Bhawan, Janpath Road, New Delhi-110001.

BY AND BETWEEN

Ministry of Statistics and Programme Implementation through its representative/authorized signatory, Deputy Director General, State Unit, having its office located at K. L. Bhawan, Janpath Road, New Delhi-110001 (hereinafter referred to as "Ministry of Statistics and Programme Implementation or "**MoSPI**" which terms or expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, mean and include its successor-in-office, administrators or permitted assignees) of the First Part;

AND

CEGIS Foundation through its representative/ authorized signatory, **Mr. Vijay Maruti Pingale, Chief Executive Officer**, CEGIS Foundation, located at 20, Okhla Industrial Estate Phase 3 Rd Okhla Phase III, Okhla Industrial Estate Delhi 110020, India (hereinafter referred to as **"CEGIS"**) which expression, unless repugnant to the context, shall include the successors, administrators and permitted assigns of the SECOND PART.

MoSPI and CEGIS Foundation are referred to individually as a "Party" and collectively as "Parties". Both parties have reached the following intent.

Background & Purpose

The Government of India has set a vision to ensure the accessibility and availability of reliable data across the country for evidence-based decision making of policy makers. MoSPI functions to further this vision by having its overarching goal as being able to facilitate evidence-based policymaking by providing reliable, high-quality data.

One of MoSPI's key initiatives in this regard is the Support for Statistical Strengthening (SSS) scheme. The SSS scheme aims to build statistical capacity in states and Union Territories by addressing gaps in data systems and supporting critical statistical activities. MoSPI seeks to strengthen the implementation of this SSS scheme across all member states and Union Territories in India.

CEGIS Foundation aims to enable a transformative improvement in the functioning of Indian state governments. Informed by cutting-edge research and evidence as well as a practical orientation toward implementable ideas, CEGIS provides Indian states with both an analytical roadmap for governance and expenditure reforms, as well as strategic implementation support to deliver on this vision. CEGIS Foundation works closely with state governments to achieve this vision through a dedicated state office co-created with the state.

At present, CEGIS has MOUs with the Government of Karnataka, Government of Assam, Government of Tamil Nadu, Government of Telangana and Government of NCT Delhi. At the Government of India level, CEGIS has signed MOUs with the Capacity Building Commission, Karmayogi Bharat and India Intellectual Property Office.

CEGIS is guided in its objectives by three core principles that underpin all successful organizations. These include: a) measuring outcomes for goal setting and monitoring progress towards these goals b) strategic crafting of personnel policy (covering hiring, posting, capacity building, training, etc.) and performance measurement and management of government employees and
c) strategic budgeting where revenue collection and resource allocation are based on evidence and cost-effectiveness – to achieve the goals above.

Given the complementary nature of objectives between CEGIS's work and MoSPI's SSS scheme, it is decided to begin an engagement between CEGIS and MoSPI, based on discussions between the Parties. The engagement would be for CEGIS to work with MoSPI and SSS scheme related directorates for a period of 2 years to provide technical and analytical handholding on implementation and policies related to the scheme. The scope of work is listed below.

Scope of Work, Roles and ResponsibilitiesTo advance this intent, below is broad scope of work including but not restricted to the following main activities and deliverables that CEGIS will produce, in collaboration with MoSPI:

1. **Support to MoSPI in Refining Implementation of SSS Scheme**

1.1. CEGIS will form a Programme Management Unit (PMU) that would provide support to MoSPI by offering recommendations to enhance the implementation of the SSS scheme across states. This PMU will serve as a bridge between MoSPI and states for implementation. The primary focus will be on strengthening the governance and operationalization of the SSS scheme.

1.2. In addition to the holistic support on SSS implementation (mentioned in Point 1.1), CEGIS will also support MoSPI in alignment with key components outlined in the SSS Revised Operational Guidelines (2024). CEGIS will contribute by offering

targeted support across the following key components of the SSS scheme:

1.2.1. **Component 3** - Implementation of recommendations of Technical Groups/Bodies for filling up existing and expected/emerging data gaps, including State/UT specific additionalities

1.2.2. **Component 4** - HRD issues, with a focus on Training for Capacity Development and Skills Enhancement/ upgradation, including support to Regional Training Centres.

1.2.3. **Component 8** - Data quality and efficiency improvement measures -

8.1. Participation in rounds of NSS including the Periodic Labour Force Survey(PLFS), Annual Survey of Services Sector Enterprises (ASSSE), Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE), Time Use Survey (TUS);

8.2 Strengthening Monitoring Framework for Sustainable Development Goals (SDGs).

1.3. Outline of support under Component 3 (Refer to point 1.2.1 above)

1.3.1. Work closely with MoSPI to identify most relevant expert panel recommendations aligning with national priorities to enhance state-level implementation of SSS scheme.

1.3.2. Use these identified expert recommendations to adapt the existing quality control framework for implementation across states. This will include incorporating best practices and technical standards identifiedthrough stakeholder consultations and expert inputs.

1.3.3. Document and prepare detailed case studies highlighting the implementation experiences and best practices from states actively engaged in the enhanced framework.

1.4. Outline of support under Component 8 (Refer point 1.2.3 above)

1.4.1 Support MoSPI in undertaking quality control checks on identified specified datasets to ensure accuracy and compliance with standards aligning to national priorities

1.5. CEGIS shall assign support of four personnel to begin with, which may be

revisited subsequently, to serve the role of points of contact at MoSPI for the above goal. These resources will provide regular updates on state-level progress related to this MOU. The entire cost of the support is to be borne by CEGIS.

1.6. These designated personnel at MoSPI will extend remote assistance to states engaged in SSS implementation. They will act as the primary liaison between MoSPI and state-level teams to ensure effective communication and coordination.

1.7. CEGIS will provide monthly progress and convene meetings of CEGIS and MoSPI to provide consistent updates and facilitate strategic discussions.

2. **State-Level Support for Effective Implementation of SSS**

2.1. CEGIS will provide support to states in the actual implementation of the SSS scheme framework. The focus here would be broadly on two aspects including; a) closely working with the State Implementation Committee (SIC) and b) providing ground-level support to implementation teams for surveys, data collection and capacity building.

2.2. The states identified for support will (preferably) be limited to those where CEGIS has active engagements (Existing state engagements - Telangana, Tamil Nadu, Karnataka; Proposed state engagements - Chhattisgarh, Uttar Pradesh).

2.3. CEGIS will provide support to states for the same three components under the SSS Revised Operational Guidelines (2024) as under Section A Point 1.2. The component-wise breakdown of support to states is detailed below. 2.4. Outline of support under Component 3 (Refer point 1.2.1 above)

2.4.1. Support states in comprehending the technical recommendations identified collaboratively by the Parties, ensuring alignment with the goals of enhanced implementation.

2.4.2. Provide support to implement effective frameworks in line with MoSPI's enhancements. This includes stakeholder identification, drafting Terms of Reference (ToRs), budgetary planning, expense management, and addressing other relevant elements agreed upon by the Parties.

2.4.3. Utilize expert inputs to deliver targeted, on-the-job capacity- building initiatives for nodal implementation agencies, such as the Directorate of Economics and Statistics, ensuring readiness and competence across participating states.

2.5. Outline of support under Component 4 (Refer point 1.2.2 above)

2.5.1. Support states in the application and setting up of regional training centers.

2.5.2. Handhold states in appropriate and regular delivery of training as per MoSPI guidelines.

2.5.3. Understand the relevance and quality of training by undertaking quality checks through observations of regional training centers and collection of feedback from participants.

2.6. Outline of support under Component 8 (Refer point 1.2.3 above) 2.6.1. Provide implementation support on appropriate use of central guidelines on data collection including usage of sampling frame, indicators, estimation methodology and other relevant details considered necessary by the Parties.

2.6.2. CEGIS to provide recommendations to develop detailed quality check frameworks tailored for states to enable enhancement of data quality.

2.6.3 CEGIS to support the State Governments for reporting compliance of the Quality Assessment Framework and NMDS 2.0.

2.6.4 Support from CEGIS in Strengthening Monitoring Framework for Sustainable Development Goals (SDGs) for States:

- Conducting gap analysis to identify SDG data availability and quality issues.
- Developing interactive dashboards and data portals to enhance public access and usability of SDG data.

3. **Other Support to Offer**

i. CEGIS will collaborate with MoSPI to draft guidelines for line ministries to improve the quality of administrative data at source. CEGIS can demonstrate the implementation of these guidelines in 1-2 CEGIS-focused states who may be interested and support them in documenting learnings for dissemination. ii. Develop a comprehensive roadmap and structure of Data Analytics Units (DAUs) that can be used by states. CEGIS can demonstrate the implementation of the roadmap in 1-2 CEGIS-focused states. These specialized units will be designed to ensure the generation of reliable, high- quality data and to strengthen the state's capacity for advanced data analysis and informed decision-making.

a. Cross-learnings from these states are to be shared with MoSPI for other states to learn.

iii. CEGIS may provide support to ensure the efficient and effective utilization of funds across states for the implementation of the SSS initiative.

iv. CEGIS to identify key Ministries/Departments and States, in consultation with MoSPI, and assess the institutional arrangements for assessing quality of their datasets, including dissemination of metadata elements of disseminated datasets in accordance with the Quality Assessment Framework (SQAF), and NMDS 2.0, finalized by MoSPI.

v. Supporting in Competency-Based Capacity Building (CBC) initiatives for officials at MoSPI through NSSTA by drafting Competency profiles of Indian Statistical Service cadre officials.

vi. Assist MoSPI, in redesigning of Probation training and Mid Career training program for Indian Statistical Service cadre through NSSTA in alignment with CBC.

vii. To support NSSTA, with strengthening of the existing frameworks of training delivery and institutionalising systems and processes as per National Standards for Civil Service Training Institutions

viii. Any other areas of mutual interest as may be identified, can be worked upon in the future.

B. Below are the main roles and responsibilities of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, in relation to CEGIS's activities and deliverables

1. Provide directional guidance to the CEGIS team towards the production of all deliverables and activities outlined in the section above.

2. Facilitate interactions, if needed, with relevant stakeholders including government, non-government and private entities.

3. Facilitate access to administrative and non-classified data as and when required, for mutually-agreed upon projects and initiatives. The use of the data shared by MoSPI with CEGIS will be governed by the protocols (included in Section G below).

4. Undertake periodic review meetings chaired by the concerned Administrative Heads of Departments, in which the projects are housed.

C. **Projects**

The Parties have agreed to work on multiple projects / areas in relation to the above responsibilities. Based on mutual agreement of both parties, additional projects focused on improving quality of expenditure, governance, and service delivery may be added to the scope of work overtime as per the provisions of Section E.

D. Team Composition

The proposed team will possess the relevant expertise required for the planning and implementation of the components under the SSS scheme as mentioned in Section A. The team composition is detailed in Annexure 1 below.

Tenure & Terms

E. Tenure

This MOU shall be deemed to be effective as of/from __ June, 2025 ("Effective Date"), and will remain valid for a period of 2 years from the Effective Date to June, 2027- after which it can be further extended with mutual consent. This MOU outlines the main activities and deliverables that CEGIS will produce.

F. Terms

1. Any desired modification(s) in this MOU will be carried out by mutual consent between both parties in writing.

2. Neither Party shall assign any of their duties under the MOU to any other person or institution without prior approval of the other Party.

3. **Financial Agreement**

3.a. This will be a non-financial MOU for each activity/collaboration (as mentioned in Section A - above). Any changes will require mutual agreement between the Parties based on detailed discussions.

3.b. No legal or financial liability in whatsoever form be created on the part of MoSPI, CEGIS by this MOU.

4. CEGIS will ensure that in case of receipt or utilization of foreign contribution by any person, compliance of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (as amended from time to time), and rules made thereunder shall be ensured by CEGIS.

Confidentiality, ownership, publishing and branding

G. Confidentiality, Ownership, Publishing and Branding

1. All activities and deliverables laid out in this MOU will be completed in consultation with the MoSPI and under the guidance of MoSPI. The MoSPI will have final approval over the contents, which will be presented as an output of the MoSPI.

2. All data, information and materials belonging to the Ministry of Statistics and Programme Implementation are owned by the MoSPI and the concerned government departments. CEGIS's role as a partner will be a supportive function.

3. Either party shall not share any data/information, logo or materials without prior approval of the other in writing.

4. The meaning of Confidential Information may be borrowed from the Digital

Personal Data Protection (DPDP) Act 2023, read a with Collection of Statistics Act, 2008.

5. Both parties shall comply with the Indian Information Technology Act, 2000, and other relevant regulations for data protection. Confidential data must be stored only on servers located within India, as approved by MoSPI.

6. Unauthorized disclosure of Confidential Information shall result in penalties, including but not limited to termination of this MoU and financial damages.

7. Interventions and initiatives emanating from this MOU that need financial support will be dealt with, on a case-to-case basis. Following provisions of GFR and adherence to other applicable rules and regulations will be ensured.

8. This MOU shall not be considered as any kind of sovereign guarantee on the part of Govt. of India.

8.a. The MOU does not empower CEGIS to take up activities on behalf of MoSPI. Any activities to be taken up by CEGIS in the States will be as per MOU / Agreement of CEGIS with the respective States.

9. The solutions co-created by MoSPI and CEGIS during the tenure of the partnership may be used by CEGIS to scale up or replicate the ongoing work in other government engagements of CEGIS by giving prior information and due acknowledgement to MoSPI.

CEGIS will ensure the protection of data shared by MoSPI. The use of data shared shall not violate any of the provisions of policies, guidelines and laws of India in force or amended from time to time including future amendments to the DPDP Act or other relevant regulations. The data shall be processed/used for statistical purposes or for activities which are envisaged under this MOU only.

Having regard to the nature, scope, and purpose of processing personal data undertaken, the risks associated with such processing, and the likelihood and severity of the harm that may result from such processing, the CEGIS shall implement appropriate security safeguards including—

(a) use of methods such as de-identification and encryption;

(b) steps necessary to protect the integrity of personal data; and

(c) steps necessary to prevent misuse, unauthorized access to, modification, disclosure, or destruction of personal data.

The parties intend that the knowledge and information, including data, instruments to improve or capture data, and research products, and the developments that arise from any funding provided by CEGIS directly in connection with this MOU shall be made available and accessible to MoSPI for the benefit of Government of India and its

people. The Parties expect that any grant agreement entered into by CEGIS for the purpose of furthering the objectives as set out in this MOU will include the principles of Global Access. "**Global Access**" requires the knowledge and information gained in connection with project activities will be promptly and broadly disseminated; and the resulting products, services, processes, technologies, materials, software, data or other innovations will be made available and accessible at an affordable price to people most in need within developing countries. Any access of data/product/services/innovation/technologies/softwares will be done through prior mutual written agreement of parties and in accordance with the policies, guidelines and laws of India.

10. Use of MoSPI Name and Branding

Approval for Branding and Public Communication

CEGIS must seek prior written approval from MoSPI before using its name, logo, or association for any promotional, marketing, or external communication purposes.

11. Ownership of Outputs
Intellectual Property Rights

1. All outputs, reports, software, tools, methodologies, and deliverables developed under this MoU shall remain the sole property of MoSPI. 2. If mutual agreement is reached for shared usage, a separate written agreement shall be drafted outlining the terms and limitations.

12. Indemnity Clause

1. CEGIS agrees to indemnify and hold harmless MoSPI against any liabilities, claims, or losses arising from its use of MoSPI's data, name, or association.

Conflict of Interest

H. Conflict of Interest

All commercial opportunities are considered separate and distinct from this collaboration. Both Parties acknowledge that the use by MoSPI of these services will not create a preference for a future contract award, and no promise or commitment has been made by MoSPI for any future award of contract in return for these services.

Disclosure of Interests

Both parties must disclose any existing or potential relationships with third parties that could result in a conflict of interest.

Non-binding Nature:

The parties agree and understanding that notwithstanding the above statements, this MOU is non-binding and shall not create or give rise to any legally binding

obligations upon either party to perform any activities or provide any funding. Any obligation or commitment of funding or other deliverable will be affected through a separate written agreement between the appropriate parties.

Each Party is responsible for their respective regulatory and legal compliances and they will undertake their respective activities with utmost good faith.

Nothing in this MOU is to be treated as creating a partnership, agency, trust, joint venture or otherwise.

Nothing contained in this MOU will be construed in any manner as an obligation or inducement for any Party and/its employees, consultants and representatives including the Government of India to prescribe, supply or recommend other Party's or its affiliate's services.

Dispute Settlement

I. Dispute Settlement

1. This MOU shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. All disputes arising out of or related to this MOU, including without limitation all matters connected with its performance, will be governed by, and construed and interpreted under the laws of India, without reference to conflict of laws principles.

2. All disputes and differences arising out of or in connection with this MOU including any question regarding its existence, validity or termination, shall be dealt with at the first instance through an amicable settlement. Failing such resolution, the matter shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the India International Arbitration Centre (IIAC) [Plot no 6, Vasant Kunj Institutional Area, New Delhi, Delhi 110070] in accordance with the India International Arbitration Centre (Conduct of Arbitration) Regulations ("IIAC Regulations") for the time being in force, which regulations are deemed to be incorporated by reference in this clause. The arbitration proceedings will be conducted in English.

Termination

J. Termination

1. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by giving a two months' notice to other Parties without assigning any reason.

2. The MOU may be terminated, in whole or in part, at any time the event of material breach by either Party; provided, however, that Party acting in breach will be given thirty (30) days to cure any breach before the non-breaching Party may exercise its termination right. In each case, written notice shall be issued stating the effective date of termination.

3. Enhanced Breach Handling

1. The cure period for material breaches shall be extended to 30 days, allowing adequate time for resolution.
2. If the breach is not resolved within this period, MoSPI may terminate the MoU, and CEGIS must return all MoSPI-provided data, intellectual property, and materials within 30 days of termination.

4. Data and Material Return

1. Upon termination, CEGIS shall certify the destruction of all copies of data and materials provided by MoSPI, unless otherwise agreed in writing.

5. Post-MoU Restrictions

Upon termination of this MoU, CEGIS shall not use MoSPI's name, logo, or association without explicit prior written consent.

Force Majeure

K. Force Majeure

1. Neither Party shall be liable for any default or delay in the performance of its obligations under this MOU (other than the obligation to pay amounts due hereunder) if and to the extent such default or delay is caused, directly or indirectly, by a "Force Majeure Event", defined as fire, flood, earthquake, elements of nature or acts of God, riots, pestilence, terrorism, civil disorders or any other cause beyond the reasonable control of such Party.

2. Existence of a Force Majeure Event shall act as a safe harbour for CEGIS from any termination or other retributory action by MoSPI and the delay shall not result in a penalty of any kind, monetary or otherwise.

3. Following any delay in performance, the Parties shall consult on appropriate next steps and modification of any service and/or deliverable deadlines shall be mutually agreed to by the Parties and not unreasonably withheld.

Miscellaneous

L. Limitation of Liability

Neither Party will be liable to the other for any indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive, or special damages, regardless of the form of action or the theory of recovery, even if such Party has been advised of the possibility of such damages.

M.Third Party Beneficiaries

This MOU is entered into solely between, and may be enforced only by, MoSPI and

CEGIS, and this MOU shall not be deemed to create any rights in third parties, or to create any obligations of a Party to any such third parties.

N. Non-Exclusivity

This MoU does not create an exclusive relationship between the parties. MoSPI reserves the right to collaborate with other organizations for similar or related objectives.

Nothing contained in this MOU will be deemed to preclude any Party from entering into separate MoU/arrangements/agreements with other parties on similar subject matters.

Nothing in this MOU establishes or should be deemed to establish a principal- agent relationship, employee-employer relationship, a representative or joint partnership between the parties, no Party will enter into any contract oragreement on behalf of the other party based on this MoU.

Each party will conduct its activities under this MOU in accordance with all applicable laws, regulations and other legal standards.

O. Notice

1. Any notice expressly required under this MOU shall be made in accordance with Section O(2). Any other notice or communication shall be in writing and sent by email to the other Party.

2. Notice sent in accordance with Section O(1) shall be deemed to have been duly given (i) if sent by personal delivery, upon delivery at the address of the relevant Party; (ii) if sent by courier, three (3) business days after the date of dispatch, provided that proof is given that the notice was properly addressed and duly dispatched; and (iii) if sent by email, one (1) Business Day after dispatch.

3. The relevant addresses of each Party for the purposes of this MOU are:

CEGIS Foundation
20, Okhla Industrial Estate Phase 3 Rd
Okhla Phase III, Okhla Industrial Estate
Delhi 110020
Email: parul@cegis.org; vijay@cegis.org

MoSPI
K. L. Bhawan, Janpath New
Delhi-110001

P. Severability

If any provision of this MOU is deemed by any court of competent jurisdiction to be

void, voidable, invalid or unenforceable for any reason, the remainder of the provisions shall not be affected and shall remain valid and enforceable.

Q. Counterparts

This MOU may be signed in **t w o** counterparts, each of which shall be considered an original and all of which together shall be deemed to constitute this MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Parties hereunto set their hands and seals and executed this Statement of Intent (MOU) as of the date first above written. The parties have signed this MOU in two duplicates in English and Hindi languages, and being each equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

MoSPI, SIGNED AND DELIVERED BY		CENTRE FOR EFFECTIVE GOVERNANCE OF INDIAN STATES SIGNED AND DELIVERED BY	
Signature		**Signature**	
Name of the Signatory	**Dr. Chetna Shukla**	**Name of the Signatory**	**Dr. Vijay Pingale**
Designation	Deputy Director General (State Unit), MoSPI	**Designation**	Chief Executive Officer, CEGIS
Date	2/6/2025	**Date**	2/6/2025
WITNESS-1		**WITNESS-1**	
Signature		**Signature**	
Name of the Witness	ACHENNARO	**Name of the Witness**	**Parul Agarwal**
Designation	DIRECTOR, STATE UNIT	**Designation**	Assistant Vice President, CEGIS
WITNESS-2		**WITNESS-2**	
Signature	02/06	**Signature**	
Name of the Witness	KAMAL PANDEY	**Name of the Witness**	ZIAUL HODA
Designation	DIRECTOR, STATE UNIT	**Designation**	Vice President-CEGIS
Date	02/06/2025	**Date**	2/6/2025

डॉ. चेतना शुक्ला/Dr. CHETNA SHUKLA
उप महानिदेशक/Deputy Director General
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics and P. I.
भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली/New Delhi

CEGIS FOUNDATION

Annexure 1: CEGIS Staffing[1]

Position	No. of Personnel	Years of Experience	Expertise	Work Location
Project Lead	1	8-10 years	The team will be competent in measurement techniques, sampling techniques, quantitative methodologies as well as competency-based personnel training.	Hybrid - Availability at MoSPI when required along with remote work.
Senior Program Associate	3	3-4 years		

1 This table presents an initial team comprising 4 (four) members to support the list of projects indicated under Section A. Additional team members may be deployed based on the project requirements and consultations with MoSPI.